

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6-7, जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

पीठासीन अधिकारी- अनिल कुमार, आर.ए.एस.

गोरधन

बनाम

जैसाराम आदि

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

दावा मुकदमा नं. 27/2017

निर्णय दिनांक- 17.05.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु अनिल कुमार, आरएएस व हाजिरी रुबरु मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जा है कि वादी का वाद तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के आधार पर खसरा सं. 172/1 रकबा 2.21 हैक्टेयर जिसके नये खसरा सं. 262 रकबा 190 हैक्टेयर व खसरा सं. 267 रकबा 0.31 हैक्टेयर वाके ग्राम सूतोद तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में अंतिम डिक्री निम्न प्रकार से दी जाती है-

खातेदार का नाम	खसरा सं.	रकबा	किस्म	लगान
1. लक्ष्मीनारायण पुत्र अमराराम रकबा 1.1050 है. जैसाराम पुत्र अमराराम रकबा 0.1811 है. दुर्गा देवी पत्नि हरदयाल जाति जाट सा. देह रकबा 0.1686 है. दुर्गाराम पुत्र चन्द्राराम जाति जाट निवासी हुसैनपुरा की ढाणी तन लाडनू रकबा 0.1124 है. मन्जूदेवी पत्नि विजयकुमार भामू जाति जाट नि. खारिया बड़ा रकबा 0.1100 है. कमलादेवी पत्नि सांवरमल मनोहरी देवी पत्नी गोविन्दराम जाति जाट सा. ढाणी मंगलदास रकबा 0.2800 है. हि.ब.	262/1 262/3 267	0.3371 हैक्टेयर 1.3100 हैक्टेयर 0.3100 हैक्टेयर	बारानी 1 बारानी 1 बारानी 1	1.68 6.56 1.55
	किला 3	1.9571 हैक्टेयर	-	9.79
2. गोरधन पुत्र खांगाराम जाति जाट निवासी कलवा	262/2	0.2529 हैक्टेयर	बारानी 1	1.26

तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा में प्रदर्शित अलग-अलग खसरान को अलग-अलग हिस्से अनुसार बट्टा नम्बर कायम की कार्यवाही की जाकर उपरोक्तानुसार अलग-अलग लगान कायम कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रहन यथावत रहेगा। अतः उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात हेतु तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को तहरीर जारी हो।

बीज मुबलिग बाबत खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारीख में वसूलयाबी तक को अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17.05.2018 को केम्प गनेड़ी में जारी की गई।

सत्यमेव जयते

(अनिल कुमार)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)

लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

कैम्प- गनेड़ी

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3. प्लीडर की फीस	
4. रूपये पर प्लीडर की फीस		4. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		5. आदेशिका की तामिल	
6. कमिश्नर की फीस		6. कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

(अनिल कुमार)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)

लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

कैम्प- गनेड़ी

17.05.2018	<p>पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत- न्याय आपके द्वार- 2018 के तहत आयोजित कैम्प गनेड़ी में पेश हुई। वादी व प्रतिवादी सं. 1 स्वयं उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। उक्त विभाजन प्रस्ताव का भी अवलोकन किया। उपरोक्त अवलोकन के उपरान्त पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा व उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ के पत्रांक/1008/भू.अ./2018 दिनांक 17 अप्रैल, 2018 के द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा मुताबिक वाद अनुरूप है, सही प्रतीत होता है। साथ ही प्रकरण के बारे में कैम्प स्थल पर मज्मे-आम से भी पूछताछ की गई। उपस्थित पक्षकारान ने बंटवारे पर सहमति प्रकट की। प्रस्ताव न्यायालय के प्राथमिक डिक्री व रिकार्ड के अनुसार ही होना प्रकट होता है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाता है। अतः प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर खसरा सं. 172/1 रकबा 2.21 हैक्टेयर जिसके नये खसरा सं. 262 रकबा 190 हैक्टेयर व खसरा सं. 267 रकबा 0.31 हैक्टेयर वाके ग्राम सूतोद तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में निम्नानुसार विभाजन किया जाकर पृथक-पृथक खातेदारी में दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं-</p> <table border="1" data-bbox="386 862 1344 1373"> <thead> <tr> <th>खातेदार का नाम</th> <th>खसरा सं.</th> <th>रकबा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. लक्ष्मीनारायण पुत्र अमराराम रकबा 1.1050 है.</td> <td>262/1</td> <td>0.3371 हैक्टेयर</td> </tr> <tr> <td>जैसाराम पुत्र अमराराम रकबा 0.1811 है. दुर्गा देवी</td> <td>262/3</td> <td>1.3100 हैक्टेयर</td> </tr> <tr> <td>पत्नि हरदयाल जाति जाट सा. देह रकबा 0.1686</td> <td>267</td> <td>0.3100 हैक्टेयर</td> </tr> <tr> <td>है. दुर्गाराम पुत्र चन्द्राराम जाति जाट निवासी</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>हुसैनपुरा की ढाणी तन लाडनू रकबा 0.1124 है.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>मन्जूदेवी पत्नि विजयकुमार भामू जाति जाट नि.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>खारिया बड़ा रकबा 0.1100 है. कमलादेवी पत्नि</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>सांवरमल मनोहरी देवी पत्नी गोविन्दराम जाति जाट</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>सा. ढाणी मंगलदास रकबा 0.2800 है. हि.ब.</td> <td>किता 3</td> <td>1.9571 हैक्टेयर</td> </tr> <tr> <td>2. गोरधन पुत्र खांगाराम जाति जाट निवासी</td> <td>262/2</td> <td>0.2529 हैक्टेयर</td> </tr> <tr> <td>कलवा</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा में प्रदर्शित अलग-अलग खसरान को अलग-अलग हिस्से अनुसार बट्टा नम्बर कायम की कार्यवाही की जाकर उपरोक्तानुसार अलग-अलग लगान कायम कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रहन यथावत रहेगा। अतः उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात हेतु तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हाकर बाद तस्मीम तकमील दाखिल दफ्तर अभिलेखागार हो।</p> <p style="text-align: center;">सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) लक्ष्मणगढ़ (सीकर) कैम्प- गनेड़ी</p>	खातेदार का नाम	खसरा सं.	रकबा	1. लक्ष्मीनारायण पुत्र अमराराम रकबा 1.1050 है.	262/1	0.3371 हैक्टेयर	जैसाराम पुत्र अमराराम रकबा 0.1811 है. दुर्गा देवी	262/3	1.3100 हैक्टेयर	पत्नि हरदयाल जाति जाट सा. देह रकबा 0.1686	267	0.3100 हैक्टेयर	है. दुर्गाराम पुत्र चन्द्राराम जाति जाट निवासी			हुसैनपुरा की ढाणी तन लाडनू रकबा 0.1124 है.			मन्जूदेवी पत्नि विजयकुमार भामू जाति जाट नि.			खारिया बड़ा रकबा 0.1100 है. कमलादेवी पत्नि			सांवरमल मनोहरी देवी पत्नी गोविन्दराम जाति जाट			सा. ढाणी मंगलदास रकबा 0.2800 है. हि.ब.	किता 3	1.9571 हैक्टेयर	2. गोरधन पुत्र खांगाराम जाति जाट निवासी	262/2	0.2529 हैक्टेयर	कलवा			
खातेदार का नाम	खसरा सं.	रकबा																																				
1. लक्ष्मीनारायण पुत्र अमराराम रकबा 1.1050 है.	262/1	0.3371 हैक्टेयर																																				
जैसाराम पुत्र अमराराम रकबा 0.1811 है. दुर्गा देवी	262/3	1.3100 हैक्टेयर																																				
पत्नि हरदयाल जाति जाट सा. देह रकबा 0.1686	267	0.3100 हैक्टेयर																																				
है. दुर्गाराम पुत्र चन्द्राराम जाति जाट निवासी																																						
हुसैनपुरा की ढाणी तन लाडनू रकबा 0.1124 है.																																						
मन्जूदेवी पत्नि विजयकुमार भामू जाति जाट नि.																																						
खारिया बड़ा रकबा 0.1100 है. कमलादेवी पत्नि																																						
सांवरमल मनोहरी देवी पत्नी गोविन्दराम जाति जाट																																						
सा. ढाणी मंगलदास रकबा 0.2800 है. हि.ब.	किता 3	1.9571 हैक्टेयर																																				
2. गोरधन पुत्र खांगाराम जाति जाट निवासी	262/2	0.2529 हैक्टेयर																																				
कलवा																																						